[2024] 5 एस.सी.आर. 1056 : 2024 आई.एन.एस.सी 447

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी, नई दिल्ली

बनाम

ओवैस अमीन उर्फ चेरी एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 2668/2024)

17 मई 2024

[एम.एम. सुंदरेश* और एस.वी.एन. भट्टी, जे.जे.]

विचारणीय मुद्दा

कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर एस.वी.टी., 1989 के सेक्शन 196-ए का लागू होना, कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 में शामिल प्रोविज़न और मैंडेट के मुकाबले।

शीर्ष टिप्पणियाँ †

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 – धारा.103 – दंड प्रक्रिया संहिता एस.वी.टी., 1989 – ss.4(1)(e), 196-A – जम्मू और कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता SVT., 1989 – s.120-B – दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 – पैरा 2(13) – सीआरपीसी, 1989 के तहत शुरू की गई कार्यवाही, s.196-A, सीआरपीसी, 1989 का अनुपालन न करना – इस प्रकार, आरपीसी, 1989 की धारा 120-बी के तहत अपराध का संज्ञान, सीआरपीसी, 1989 की धारा 196-ए के तहत अनिवार्य शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकरण या अधिकारिता के अभाव में ट्रायल कोर्ट द्वारा नहीं लिया गया था – सीआरपीसी, 1989 31.10.2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारा निरस्त – यदि अनिवार्य हो तो धारा 196-ए का अनुपालन – सीआरपीसी, 1973, यदि पूर्वव्यापी आवेदन होगा:

अभिनिर्धारित - जे & के पुनर्गठन अधिनियम, 2019 या 2019 के आदेश से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि सी.आर.पी.सी, 1973 का पूर्वव्यापी प्रभाव होगा - जे & के पुनर्गठन अधिनियम, 2019, 31.10.2019 से प्रभावी हुआ, जो कि नियत दिन था - इस प्रकार, सी.आर.पी.सी, 1973 केवल 31.10.2019 के बाद से ही लागू होगा और इसलिए, इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा - जे & के पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की पांचवीं अनुसूची की तालिका 3 में उल्लिखित अनुसार, इसके लागू होने के बाद, किसी भी क़ानून को निरस्त करने के समय प्रचलित कोई भी जांच सी.आर.पी.सी, 1989 के तहत जारी रहेगी - सी.आर.पी.सी, 1973 को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सी.आर.पी.सी, 1989 अभी भी लागू था - जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20.09.2019 को विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए को शिकायत दी गई – 25.09.2019 को आरोप पत्र दायर किया गया और जांच पूरी हो गई – जे & के पुनर्गठन अधिनियम, 2019

राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली बनाम
ओवैस अमीन उर्फ चेरी एंड अन्य.

31.10.2019 को अस्तित्व में आया – इसलिए, जिस दिन जांच पूरी हुई, उस दिन सी.आर.पी.सी, 1989 जे & के केंद्र शासित प्रदेश के भीतर लागू था – धारा 196-ए, सी.आर.पी.सी, 1989 के तहत एक प्राधिकरण या अधिकारिता की आवश्यकता एक शिकायत संप्रेषित करने के लिए अनिवार्य है, यह जांच के समापन पर होने के कारण, जांच एजेंसी को इसके बाद इसका अनुपालन करने से नहीं रोकेगा - निरस्त संहिता में उल्लिखित पहले की प्रक्रिया का केवल गैर-अनुपालन अपने आप में किसी अभियुक्त के लाभ के लिए नहीं होगा, प्रक्रिया एक सुधार योग्य है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है - अपीलकर्ता द्वारा की गई चूक एक सुधार योग्य दोष है, जो उत्तरदाताओं के लाभ के लिए नहीं होगी, खासकर जब उन्हें ऐसी मंजूरी या सशक्तीकरण की अनुपस्थिति में आरोपित किया जाना बाकी है - आरोपित निर्णय को इस हद तक रद्द कर दिया गया कि इसने विशेष न्यायाधीश, एन.आई.ए के फैसले की पुष्टि की, जिसमें धारा 120 - बी, आर.पी.सी., 1989 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान नहीं लिया गया था। -– अपीलकर्ता को धारा 196-ए, सी.आर.पी.सी, 1989 के आदेश का पालन करने की स्वतंत्रता है। [पैरा 19, 20, 25, 31, 32, 34, 35]

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 – धारा 103 – जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 – पैरा 2(13) – दंड प्रक्रिया संहिता एसवीटी, 1989 – मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित किया गया, नए कानूनों को लागू किया गया – पुराने कानूनों के तहत कार्यवाही जारी रखने के साथ-साथ शुरुआत करने की सुविधा:

अभिनिर्धारित - आदेश, 2019 का पैरा 2(13) सिर्फ़ किसी कानून के पिछले ऑपरेशन से ही नहीं, बल्कि किसी भी पेनल्टी, ज़ब्ती या सज़ा के अलावा किसी भी अधिकार, ज़िम्मेदारी या लायबिलिटी से भी डील करता है – क्लॉज़ 13 का सब-क्लॉज़ (डी) सब-क्लॉज़ (ए) से (सी) में बताए गए किसी भी ऐसे अधिकार या ज़िम्मेदारी के संबंध में इन्वेस्टिगेशन की स्थिति से डील करता है – हालांकि, इसमें यह भी जोड़ा गया कि जब पुराने कानून, जिसमें सी.आर.पी.सी, 1989 भी शामिल है, के तहत की गई किसी भी चीज़ के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन, कानूनी कार्रवाई या उपाय किया जाता है, तो वह वैसे ही जारी रहेगा जैसे एक्ट, 2019 पास नहीं हुआ हो – यह सिर्फ़ जारी रखने को ही आसान नहीं बनाया गया है, बल्कि शुरुआत को भी आसान बनाया गया है। [पैरा 24]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

निबारन चन्द्र बनाम सम्राट (1929) ए.आई.आर. 1929 कलकत्ता 754 – को संदर्भित किया गया।

डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट

अधिनियमों की सूची

जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट, 2019; कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर एस.वी.टी., 1989; कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973; जम्मू और कश्मीर स्टेट रणबीर पीनल कोड एस.वी.टी., 1989; जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन (कठिनाइयों को दूर करना) ऑर्डर, 2019; पीनल कोड, 1860; एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908; जम्मू और कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिवेंशन ऑफ़ डैमेज) एक्ट, 1985।

प्रमुख शब्दों की सूची

जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन; कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 जो पिछली तारीख से लागू नहीं होगा; नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी; एन.आई.ए कोर्ट; अपराध का कॉग्निजेंस; शिकायत का कॉग्निजेंस; मंज़ूरी; शिकायत पहुंचाने के लिए ऑथराइज़ेशन या एम्पावरमेंट; पहले के प्रोसीजर का पालन न करना; पुराना कानून रद्द; पिछली तारीख से लागू होना; पुराने कानून के तहत मिला अधिकार, ज़िम्मेदारी, लायबिलिटी, पेनल्टी, ज़ब्ती या सज़ा।

मामले की उत्पत्ति

क्रिमिनल अपील जूरिस्डिक्शन: क्रिमिनल अपील नंबर 2668/2024

27.04.2021 के जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, जम्मू के क्रिमिनल अपील (डी) नंबर 11/2020 के जजमेंट और ऑर्डर से।

अधिवक्तागण

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण - सूर्य प्रकाश वी राजू, ए.एस.जी., श्रीमती स्वाति घिरडियाल, उदय खन्ना, श्रीमती सैरिका एस राजू, राघव शर्मा, आशुतोष घाड़े, अरविंद कुमार शर्मा ।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्तागण - मुजफ्फर इकबाल खान, डी. महेश बाबू, शिशिर पिनाकी, धनेश्वर गुडापल्ली, मनोज कुमार, सुश्री मल्लिका दास, अंबर जैन, देवजी मिश्रा ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

एम.एम. सुंदरेश, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. इस अपील में चुनौती जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा जम्मू में आपराधिक अपील (डी) संख्या 11/2020 दिनांक 27.04.2021 में दिए गए फैसले को है, जिसके

राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली बनाम
ओवैस अमीन उर्फ चेरी एंड अन्य.

द्वारा विशेष न्यायाधीश, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) (तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) जम्मू द्वारा दिए गए फैसले की आंशिक रूप से पुष्टि की गई है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य रणबीर दंड संहिता एसवीटी, 1989 (इसके बाद "आरपीसी, 1989" के रूप में संदर्भित) की धारा 306 और 411 के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद "यूएपीए, 1967" के रूप में संदर्भित) की धारा 39 के तहत तैयार किए गए आरोपों से संबंधित मुद्दे को नए सिरे से संज्ञान लेने के लिए भेज दिया गया है।

3. अपील करने वाले की ओर से पेश हुए विद्वान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू और उत्तरदाता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील श्री डी. महेश बाबू को सुना। हमने उत्तरदाता की ओर से रिकॉर्ड में रखी गई लिखित दलीलों को भी देखा है।

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

4. क्षेत्राधिकार वाली पुलिस द्वारा केस क्राइम नंबर 39/2019 में उत्तरदाताओं के खिलाफ आरपीसी, 1989 की धाराओं 307, 120-बी, 121, 121-ए और 124-ए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धाराओं 4 और 5, और यू.ए.पी.ए, 1967 की धाराओं 15, 16, 18 और 20 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

5. इस केस को अपील करने वाले ने 15.04.2019 को आरसी-03/2019/एनआईए/जेएमयू के तौर पर फिर से रजिस्टर किया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स (एम.एच.ए), भारत सरकार के 12.04.2019 के आदेश के बाद हुआ था। 20.09.2019 की एक कंप्लेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रामबन ने एन.आई.ए कोर्ट को एक कम्युनिकेशन के ज़रिए भेजी थी, जो कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर एस.वी.टी., 1989 (जिसे आगे "सी.आर.पी.सी, 1989" कहा जाएगा) के सेक्शन 196 और 196-ए के तहत थी। 20.09.2019 की इस कंप्लेंट के मुताबिक, अपील करने वाले ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन पूरी की और 25.09.2019 को चार्जशीट फाइल की गई।

6. इसके अनुसार, आरोपियों पर आरपीसी, 1989 के सेक्शन 306, 309, 307, 411, 120-B, 121, 121-ए और 122, यू.ए.पी.ए, 1967 के सेक्शन 16, 18, 20, 23, 38 और 39, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, 1908 के सेक्शन 3 और 4 और जम्मू-कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिवेंशन ऑफ़ डैमेज) एक्ट, 1985 के सेक्शन 4 के तहत चार्जशीट दायर की गई। इन अपराधों के लिए उन पर एक्सप्लोसिव से लदी एक सैंट्रो कार से सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फ़ोर्स (सीआरपीएफ) के जवानों के काफ़िले पर घात लगाकर हमला करने और उसे टक्कर मारने की

कोशिश करने का आरोप है। इससे पहले कि उनकी कोशिश कामयाब हो पाती, एक धमाका हुआ, जिसके कारण आरोपी घटनास्थल से भाग गए।

7. संज्ञान लेते समय, एन.आई.ए के स्पेशल जज ने उत्तरदाताओं की दलीलें सुनीं। इसलिए, उन्होंने माना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा 20.09.2019 को दी गई शिकायत तय फॉर्म में नहीं थी, और इसलिए यह सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 4(1)(ई) के तहत दिए गए आदेश को पूरा नहीं करती है।

8. ऐसा मानने के बाद, एन.आई.ए के स्पेशल जज इस नतीजे पर पहुँचे कि सीआरपीसी, 1989 के सेक्शन 121, 121-ए और 122 के तहत लगाए गए अपराधों के लिए कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता क्योंकि एनआईए, 1989 के सेक्शन 196-बी के तहत सोचे गए प्रोसेस का पालन नहीं किया गया है। इसके अलावा, आरपीसी, 1989 के सेक्शन 120-बी के तहत किए गए अपराध के लिए भी कॉग्निजेंस नहीं लिया गया क्योंकि न तो कोई ऑथराइज़ेशन था, न ही सीआरपीसी, 1989 के सेक्शन 196-ए के तहत ज़रूरी कोई एम्पावरमेंट था। नतीजतन, बाकी अपराधों के लिए कॉग्निजेंस लिया गया।

9. स्पेशल जज, एनआईए के फैसले से नाराज़ होकर, अपील करने वाले और जवाब देने वाले दोनों ने अपनी-अपनी अपील फाइल की। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने यह माना कि स्पेशल जज, एनआईए दो मामलों में गलत थे, यानी, शिकायत सीआरपीसी, 1989 के सेक्शन 4(1)(ई) के अनुसार थी, और सीआरपीसी, 1989 के सेक्शन 196-बी के तहत मौजूद समझ को देखते हुए, कोई भी ज़रूरी शुरुआती जांच करने का सवाल ही नहीं उठता।

10. हाई कोर्ट ने सीआरपीसी, 1989 के सेक्शन 196-ए के तहत ज़रूरी ऑथराइज़ेशन या एम्पावरमेंट के सवाल पर एनआईए के स्पेशल जज के फैसले को सही ठहराया, क्योंकि कोर्ट ने संबंधित ऑफिसर के जवाब से खुद को संतुष्ट कर लिया था, जो खुद कोर्ट के सामने मौजूद था।

11. वैसे, बाकी अपराधों के लिए जिनके लिए कॉग्निजेंस लिया गया था, हाई कोर्ट ने आरपीसी, 1989 के सेक्शन 306 और 411 और यू.ए.पी.ए, 1967 के सेक्शन 39 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कॉग्निजेंस लेने का फैसला करने से पहले, केस को स्पेशल जज, एनआईए को उसकी संतुष्टि के लिए भेज दिया। जहां तक इस मामले का सवाल है, स्पेशल जज, एनआईए ने पहले ही सही काम कर लिया है और इसलिए, यह एकेडमिक नेचर का है। असल में, स्पेशल जज, एनआईए ने आरपीसी, 1989 के सेक्शन 121, 121-ए और 122 के साथ-साथ आरपीसी, 1989 के सेक्शन 306 और 411, और यू.ए.पी.ए,

1967 के सेक्शन 39 के तहत सज़ा वाले अपराधों के लिए कॉग्निजेंस लिया है। इसलिए, हम उन अपराधों में नहीं जाना चाहते जिनका ट्रायल एडवांस स्टेज पर पेंडिंग है।

12. इससे अपील में तय किए जाने वाले एकमात्र सवाल पर असर पड़ता है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे "सी.आर.पी.सी, 1973" कहा जाएगा) में निहित प्रावधानों और अधिदेश के मुकाबले सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196-ए की प्रयोज्यता पर है।

13. सुविधा के लिए, हमने सी.आर.पी.सी, 1989 और कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 (जिसे आगे "सी.आर.पी.सी, 1898" कहा जाएगा) में दिए गए ज़रूरी नियमों को निकाला है:

सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 4

> **4. परिभाषाएँ. –** (1) इस संहिता में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि विषय या संदर्भ से कोई भिन्न आशय प्रकट न हो: –
>
> **(ई) "शिकायत". – "शिकायत" का मतलब है किसी मजिस्ट्रेट के सामने इस कोड के तहत कार्रवाई करने के मकसद से बोलकर या लिखकर लगाया गया आरोप कि किसी जाने-पहचाने या अनजान व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है, लेकिन इसमें पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।"** (जोर दिया गया)

सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196

> "196. राज्य के खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमा।–कोई भी कोर्ट रणबीर पीनल कोड के चैप्टर VI या IX-ए के तहत सज़ा वाले किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय सेक्शन 127 और सेक्शन 171-एफ के, जहाँ तक यह परसोनेशन के अपराध से जुड़ा है, या रणबीर पीनल कोड के सेक्शन 108-ए, या सेक्शन 153-ए, या सेक्शन 294-ए, या सेक्शन 295-ए या सेक्शन 505 के तहत सज़ा वाले अपराध का, **जब तक कि सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ऐसे किसी**

दूसरे अधिकारी के आदेश से या उसके अधिकार से शिकायत न की गई हो, जिसे सरकार इस संबंध में अधिकार दे। (जोर दिया गया)

सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196-ए

"196-ए. आपराधिक षड्यंत्र के कुछ वर्गों के लिए अभियोजन।
कोई भी न्यायालय रणबीर दंड संहिता की धारा 120-बी के अंतर्गत दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, —

(1) ऐसे मामले में जहाँ साजिश का उद्देश्य या तो अपराध के अलावा कोई अवैध कार्य करना है, या अवैध तरीकों से कोई वैधानिक कार्य करना है, या कोई अपराध करना है, जिस पर धारा 196 के प्रावधान लागू होते हैं, जब तक कि सरकार या इस संबंध में सरकार द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के आदेश से या उसके अधिकार से शिकायत न की गई हो, या

(2) ऐसे मामले में जहाँ साजिश का उद्देश्य कोई असंज्ञेय अपराध, या ऐसा संज्ञेय अपराध करना है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय नहीं है, जब तक कि सरकार, या सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित आदेश द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति नहीं दी हो

बशर्ते कि जहां आपराधिक षड्यंत्र ऐसा हो, जिस पर धारा 195 की उपधारा (4) के प्रावधान लागू होते हैं, वहां ऐसी कोई सहमति आवश्यक नहीं होगी।"
(जोर दिया गया)

सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196-ए

"धारा 196ए. आपराधिक षड्यंत्र के कुछ वर्गों के लिए अभियोजन – कोई भी न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत दंडनीय आपराधिक षड्यंत्र के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा,

राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली बनाम
ओवैस अमीन उर्फ चेरी एंड अन्य

(1) ऐसे मामले में जहाँ साजिश का उद्देश्य या तो अपराध के अलावा कोई अवैध कार्य करना है, या अवैध तरीकों से कोई वैध कार्य करना है, या ऐसा अपराध करना है जिस पर धारा 196 के प्रावधान लागू होते हैं, जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त किसी अधिकारी के आदेश या प्राधिकरण के तहत शिकायत न की गई हो, या

(2) ऐसे मामले में जहाँ षड्यंत्र का उद्देश्य कोई असंज्ञेय अपराध, या ऐसा संज्ञेय अपराध करना है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय नहीं है, जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित आदेश द्वारा कार्यवाही आरंभ करने के लिए सहमति नहीं दे दी है:

बशर्ते कि जहां आपराधिक साजिश ऐसी हो, जिस पर धारा 195 की उपधारा (4) के प्रावधान लागू होते हैं, वहां ऐसी सहमति आवश्यक नहीं होगी।"

(जोर दिया गया)

14. सी.आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 4(1)(ई) शिकायत को बताता है। ऐसी शिकायत में बोलकर या लिखकर किया गया आरोप शामिल होता है। बेशक, शिकायत करने का कोई तय फ़ॉर्मेट नहीं है, क्योंकि बोलकर किया गया आरोप भी शिकायत ही माना जाता है।

15. सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196 के अनुसार, जो राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित है, एक अधिकार क्षेत्र वाली कोर्ट सिर्फ़ सरकार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या सरकार द्वारा इस मकसद के लिए अधिकार दिए गए किसी दूसरे अधिकारी के आदेश से या उसके अधिकार से की गई शिकायत पर ही संज्ञान लेगी। इस तरह सी.आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 196 इसके तहत दिए गए तरीके के अलावा किसी भी दूसरे तरीके को रोकता है। इसका पालन करना ज़रूरी है, ऐसा न करने पर कोई कोर्ट सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196 के तहत संज्ञान नहीं ले सकता।

16. सी.आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 196-ए सिर्फ़ खास तरह की क्रिमिनल साज़िश से जुड़ा है, जिस पर केस चलाया जा सके। आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 120-B साज़िश से जुड़े अपराध से जुड़ा है, जो इंडियन पीनल कोड, 1860 के सेक्शन 120B के पैरी मैटेरिया जैसा है। सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196-ए का सब-सेक्शन (1) साज़िश के मकसद

को किसी गैर-कानूनी काम के अलावा, गैर-कानूनी तरीकों से किया गया कानूनी काम, या ऐसा अपराध बताता है जिस पर सी.आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 196 लागू होता है। ऐसे अपराध का कॉग्निजेंस लेने के लिए, शिकायत सिर्फ़ सरकार के आदेश से, या उसके अधिकार के तहत, या उसके द्वारा अधिकार पाए किसी अधिकारी द्वारा की जा सकती है। सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196-ए के मामले में, न्यायालय द्वारा किसी शिकायत का संज्ञान तभी लिया जा सकता है, जब वह प्राधिकरण की क्षमता के संबंध में सी.आर.पी.सी, 1989 की धारा 196-ए की उपधारा (1) के उचित अनुपालन के बारे में स्वयं संतुष्ट हो जाए।

17. हालांकि सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196 और 196-ए, शिकायत करने के लिए सक्षम अथॉरिटी के मामले में एक जैसे लगते हैं, सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196 के तहत, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खुद शिकायत दर्ज कर सकता है, जबकि सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196-ए के तहत ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हम यह भी ध्यान दें कि सी.आर.पी.सी, 1989 का सेक्शन 196-ए, सी.आर.पी.सी, 1898 के सेक्शन 196ए के पैरी मैटेरिया जैसा ही है।

<u>जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019</u>

18. हम जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइज़ेशन एक्ट, 2019 (जिसे आगे "**एक्ट, 2019**" कहा जाएगा) के इन प्रोविज़न पर भरोसा करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

<u>अधिनियम, 2019 की धारा 95</u>

> **<u>"95. कानूनों का क्षेत्रीय विस्तार - (1) इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की तालिका 1 में दिए गए सभी केंद्रीय कानून, नियत दिन से ही, उसमें दिए गए तरीके से, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र पर लागू होंगे।</u>**
>
> <u>(2)</u> पांचवीं अनुसूची के अन्य सभी कानून**<u>, जो नियत दिन से ठीक पहले जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू हों, उसमें दिए गए तरीके से जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होंगे।</u>** (जोर दिया गया)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी नई दिल्ली बनाम
ओवैस अमीन उर्फ चेरी एंड अन्य

<u>अधिनियम, 2019 की पांचवीं अनुसूची, तालिका</u> 1

"पांचवीं अनुसूची
(धारा 95 और 96)
तालिका 1

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख पर लागू होने वाले केंद्रीय कानून

क्रम सं.	**अधिनियम का नाम**		**धारा/संशोधन**
1.	आधार (फाइनेंशियल और दूसरी सब्सिडी, फायदे और सर्विस की टारगेटेड डिलीवरी) एक्ट, 2016		धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
2.	प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985		धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) को हटा दिया जाएगा।
3.	आनंद मैरिज एक्ट, 1909		धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
4.	मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996		धारा 1 की उपधारा (2) का प्रावधान हटा दिया जाएगा।
5.	बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988		धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
6.	चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट, 1890.		धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
7.	चिट फंड अधिनियम, 1982		धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।
8.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908		धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) को हटा दिया जाएगा।
<u>9.</u>	**<u>दंड प्रक्रिया संहिता, 1973</u>**		**<u>धारा 1 की उपधारा (2) में, "जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों को हटा दिया जाएगा।</u>**

(जोर दिया गया)

<u>अधिनियम, 2019 की पांचवीं अनुसूची, तालिका</u> 3

तालिका 3

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में रद्द किए गए राज्य के कानून, जिनमें राज्यपाल के कानून भी शामिल हैं

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश सं.
1.	जम्मू और कश्मीर जवाबदेही आयोग अधिनियम, 2002	XXXVIII - 2002
2.	जम्मू और कश्मीर अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1997	XXVI -1997
3.	जम्मू और कश्मीर कृषि आयकर अधिनियम, 1962	XXI - 1962
4.	जम्मू और कश्मीर राज्य कृषि उत्पाद विपणन विनियमन अधिनियम, 1997	XXXVI - 1997
5.	जम्मू और कश्मीर आनंद विवाह अधिनियम, 1954	IX - 2011
6.	जम्मू और कश्मीर पशु रोग (नियंत्रण) अधिनियम, 1949	XV - 2006
7.	जम्मू और कश्मीर अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1989	I - 1989
8.	जम्मू और कश्मीर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1997	XXXV - 1997
9.	जम्मू और कश्मीर आर्य समाजी विवाह (मान्यकरण) अधिनियम, 1942	III - एस.वी.टी. 1999
10.	जम्मू और कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सक अधिनियम, 1959	XXVI - 1959
11.	जम्मू और कश्मीर बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 1920	VI - 1977
12.	जम्मू और कश्मीर बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 2010।	V - 2010

13.	जम्मू और कश्मीर बॉयलर्स अधिनियम, संवत, 1991	IV - एस.वी.टी. 1991
14.	बौद्ध बहुपति विवाह निषेध अधिनियम, 1941	II - 1998
15.	जम्मू और कश्मीर मवेशी अतिक्रमण अधिनियम, 1920	VII - 1977
16.	जम्मू और कश्मीर चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट, 1989	XIV - 1989
17.	जम्मू और कश्मीर चिट फंड अधिनियम, 2016	XI - 2016
18.	जम्मू और कश्मीर ईसाई विवाह और तलाक अधिनियम, 1957	III - 1957
19.	जम्मू और कश्मीर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1933	XXIV - 1989
20.	सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत 1977	X - एस.वी.टी. 1977
21.	**दंड प्रक्रिया संहिता, संवत 1989**	**XXIII of एस.वी.टी. 1989**

(जोर दिया गया)

19. यह एक्ट, 2019, 31.10.2019 से लागू हुआ, जो नोटिफिकेशन नंबर एस.ओ. 2889(ई) तारीख 09.08.2019 के अनुसार तय तारीख थी। एक्ट, 2019 का सेक्शन 95, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सेंट्रल कानूनों के लागू होने की बात करता है। ऊपर बताया गया नोटिफिकेशन, एक्ट, 2019 के पांचवें शेड्यूल को लागू करने के लिए लागू होने की तारीख यानी 31.10.2019 बताता है।

20. पांचवें शेड्यूल के टेबल 1 और टेबल 3 को देखने से साफ पता चलता है कि सी.आर.पी.सी, 1973 तय दिन से ही लागू होगा और इसलिए सी.आर.पी.सी, 1989 रद्द हो गया है। फिर से बता दूं, यह तय दिन से ही लागू होगा, और इसलिए इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है। यह बात साफ करने के लिए, सी.आर.पी.सी, 1973 को 31.10.2019 के बाद से लागू किया जाएगा, और इसलिए तय दिन से पहले तो बिल्कुल नहीं।

अधिनियम 2019 की तुलना में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019

21. हम अधिनियम, 2019 की धारा 103 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2019 (जिसे आगे "आदेश, 2019" कहा जाएगा) के पैरा 2(13) पर भरोसा करते हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

अधिनियम, 2019 की धारा 103

"103. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति आदेश द्वारा ऐसा कोई कार्य कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अंतर्गत किया गया प्रत्येक आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(जोर दिया गया)

आदेश, 2019 का पैरा 2(13)

2. कठिनाइयों का निवारण - मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में आने वाली कठिनाइयों को निम्नलिखित प्रकार दूर कर दिया गया है, अर्थात्-

xxx xxx xxx

(13) पांचवीं अनुसूची की सारणी 3 में उपबंधित तरीके से निरस्त किए गए अधिनियम निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेंगे-

(ए) इस प्रकार निरस्त किसी कानून का पूर्व प्रवर्तन या उसके अन्तर्गत सम्यक रूप से की गई या सहन की गई कोई बात;

(बी) इस प्रकार निरस्त किसी कानून के अंतर्गत अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता;

(सी) इस तरह रद्द किए गए किसी कानून के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में हुई कोई पेनल्टी, ज़ब्ती या सज़ा; या

(डी) पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दंड, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय,

और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और ऐसी कोई सजा, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है, मानो यह अधिनियम पारित नहीं हुआ हो।" (जोर दिया गया)

22. सेक्शन 103 अधिनियम, 2019 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अधिनियम, 2019 के नियमों को लागू करने में आने वाली किसी भी मुश्किल को दूर कर सकें। यह अधिकार इसलिए दिया गया है ताकि मौजूदा कानूनों की जगह नए कानूनों को लागू करना आसान हो सके।

23. सेक्शन 103 अधिनियम, 2019 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, आदेश, 2019 को 30.10.2019 को जारी किया गया, जिसकी तारीख 31.10.2019 थी। इसलिए, अधिनियम, 2019 के सेक्शन 103 के तहत तय प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे पेश किया गया।

24. आदेश, 2019 का पैरा 2(13) उन हालात से जुड़ा है जिनमें पहले के कानून प्रभावित नहीं होंगे। यह सिर्फ़ किसी कानून के पिछले ऑपरेशन से ही नहीं, बल्कि किसी भी पेनाल्टी, ज़ब्ती या सज़ा के अलावा किसी भी अधिकार, ज़िम्मेदारी या लायबिलिटी से भी संबंधित है। क्लॉज़ 13 का सब-क्लॉज़ (डी) सब-क्लॉज़ (ए) से (सी) में बताए गए किसी भी ऐसे अधिकार या ज़िम्मेदारी के संबंध में जांच की स्थिति से संबंधित है। हालांकि, इसमें यह भी जोड़ा गया है कि जब पुराने कानून, जिसमें सी.आर.पी.सी, 1989 भी शामिल है, के तहत की गई किसी भी चीज़ के लिए कोई जांच, कानूनी कार्रवाई या उपाय किया जाता है, तो वह वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि अधिनियम, 2019 पास नहीं हुआ हो। न सिर्फ़ इसे जारी रखना आसान बनाया गया है, बल्कि इसे शुरू करना भी आसान बनाया गया है।

25. ऊपर बताया गया पैराग्राफ सिर्फ़ एक अधिकार की ही बात नहीं करता, बल्कि एक ज़िम्मेदारी की भी बात करता है। ऐसी ज़िम्मेदारी या अधिकार किसी व्यक्ति या राज्य के पास हो सकता है, जैसा भी मामला हो। जब राज्य किसी अपराध की जांच करता है, तो वह जनता की तरफ़ से करता है। इस तरह, किसी भी कानून को रद्द करने के समय, जैसा कि पांचवें शेड्यूल के टेबल 3 में बताया गया है, और उसके बाद एक्ट,

2019 को लागू करने के समय, जो भी जांच चल रही थी, वह सी.आर.पी.सी, 1989 के तहत जारी रहेगी। हालांकि, उस पर कानून सी.आर.पी.सी, 1973 के तहत लागू होगा। ऐसा होने पर, सी.आर.पी.सी, 1973 तब लागू नहीं हो सकता जब पहले वाला (यानी सी.आर.पी.सी, 1989) अभी भी लागू था।

26. यह ध्यान देने वाली बात है कि रद्द किए गए कोड में बताए गए पहले के प्रोसेस का सिर्फ़ पालन न करने से किसी आरोपी को फ़ायदा नहीं होगा, यह प्रोसेस केस के फ़ैक्ट्स और हालात के आधार पर ठीक किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, भेदभाव के सवाल के अलावा, किसी जांच एजेंसी को रद्द किए गए कोड यानी सी.आर.पी.सी, 1989 का सहारा लेकर पहले की गई गलती का पालन करने के बाद आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता है। इसी वजह से, अधिनियम, 2019 के सेक्शन 103 के तहत मिली पावर का इस्तेमाल करते हुए पैरा 2(13) के खास रेफरेंस के साथ आदेश, 2019 पेश किया गया है।

27. इसी तरह के एक मामले पर 1929 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने **निबरन चंद्र बनाम एम्परर, 1929 ए.आई.आर 1929 कलकत्ता 754** में विचार किया था। इस मामले पर विचार करते हुए, जस्टिस मुखर्जी ने सी.आर.पी.सी, 1898 की धारा 196ए के तहत प्रॉसिक्यूशन को नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट देकर सही रास्ता निकाला था:

> "याचिकाकर्ताओं को धारा 120-बी, आई.पी.सी. के तहत दोषी ठहराया गया है। याचिककर्ता 1 को धारा 384, आई.पी.सी. और नंबर 2 को धारा 384/114, आई.पी.सी. के तहत भी दोषी ठहराया गया है। जिस आधार पर यह नियम जारी किया गया है, वह यह है कि ट्रायल खराब हो गया था क्योंकि लोकल गवर्नमेंट ने धारा 196-ए, क्रिमिनल.पी.सी. के तहत याचिककर्ता पर धारा 120-बी, आई.पी.सी. के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंज़ूरी नहीं दी थी। अब क्योंकि साज़िश का मकसद धारा 384, आई.पी.सी. के तहत एक ऐसा अपराध करना था, जो एक नॉन-कॉग्निज़ेबल अपराध है, इसलिए कोर्ट लोकल गवर्नमेंट या उस संबंध में अधिकार प्राप्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की मंज़ूरी के बिना उस अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता था। नियम के जवाब में विद्वान मजिस्ट्रेट ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि धारा 384 और याचिकाकर्ता 1 और 2 के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 384/114 को बनाए रखा जा सकता है और उन्हें दी गई सज़ा को इन धाराओं के तहत दी गई सज़ा माना जा सकता है। बाकी सब बातों के अलावा, मेरी राय में, इस तरीके से याचिकाकर्ताओं को नुकसान हो सकता है। उन पर धारा 384 और 384/114 के तहत अपराधों के साथ-साथ

धारा 120-बी के तहत आरोप के लिए ट्रायल चलाया गया था। यह बिल्कुल मुमकिन है और असल में यह नामुमकिन नहीं है कि इस मामले में साज़िश का आरोप साबित करने के लिए प्रॉसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए बहुत सारे सबूत, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 384 और 384/114, आई.पी.सी. के तहत मुख्य आरोपों के लिए ज़रूरी नहीं होंगे। जिन आरोपों के लिए मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है, उन पर चलाए गए ट्रायल और जो धारा 196-ए, क्रिमिनल.पी.सी. के तहत बिना मंज़ूरी के कॉग्निज़ेबल नहीं हैं, उन्हें इस तरह से अलग नहीं किया जा सकता।

इसलिए मेरी राय है कि इस नियम को पूरी तरह से लागू कर देना चाहिए और याचिककर्ताओं को दी गई सज़ा और सज़ा रद्द कर देनी चाहिए और अगर उन्होंने जुर्माना भरा है तो उसे वापस कर देना चाहिए। **प्रॉसिक्यूशन के लिए पिटीशनर्स के खिलाफ धारा 384 और 384/114, आई.पी.सी. के तहत आरोपों के संबंध में या धारा 120-बी आई.पी.सी. के तहत आरोप के संबंध में भी नए सिरे से कार्रवाई करने की छूट होगी, बशर्ते कि धारा 196-ए, क्रिमिनल.पी.सी. के तहत ज़रूरी मंज़ूरी ठीक से मिल गई हो।** अगर ऐसा दोबारा ट्रायल होना है, तो यह उस मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और मजिस्ट्रेट के सामने होगा जो पहले ही इस केस को देख चुका है।

नियम पूर्ण बना दिया गया।

(जोर दिया गया)

<u>प्रविष्टियों</u>

28. अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री एस.वी. राजू, ए.एस.जी ने कहा कि चूंकि अधिनियम, 2019 लागू हो गया है, इसलिए विवादित फैसला रद्द किया जा सकता है।

29. इसके उलट, उत्तरदाता की तरफ से पेश हुए वकील श्री डी. महेश बाबू ने लिखी हुई दलीलों पर भरोसा करते हुए कहा कि जिस फैसले पर सवाल उठाया गया है, उसमें उस समय की कानूनी स्थिति को सही ढंग से बताया गया था। जब शिकायत दी गई, तब सी.आर.पी.सी, 1989 लागू था। इसके बाद इसे रद्द किया गया। प्रोसीजरल कानून का पिछली तारीख से लागू होना काफी हद तक तय है, और इस प्रोसीजर को पिछली तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। यहां तक कि एक्ट, 2019 में भी यह साफ तौर पर नहीं कहा गया है कि सी.आर.पी.सी, 1973 पिछली तारीख से लागू होगा। एक्ट, 2019 के

सेक्शन 103 को आदेश, 2019 के साथ, पैरा 2(13)(d) के खास रेफरेंस के साथ पढ़ने पर, यह बिल्कुल साफ है कि सी.आर.पी.सी, 1989 को लागू किया जाना चाहिए था, क्योंकि नॉन-कम्प्लायंस को लेकर कोई विवाद नहीं था, जिसे कोर्ट ने ठीक से रिकॉर्ड किया था। इसलिए, विवादित फैसले को बरकरार रखना होगा।

चर्चाएँ

30. जैसा कि बताया गया है, सी.आर.पी.सी, 1989 31.10.2019 (यानी तय दिन) से रद्द हो गया था। उसी दिन, अधिनियम, 2019 लागू हुआ। इसलिए, श्री एस.वी. राजू की यह बात कि सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196-ए के तहत ज़रूरी मंज़ूरी या अधिकार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मानी नहीं जा सकती।

31. अधिनियम, 2019 या आदेश, 2019 से ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता कि सी.आर.पी.सी, 1973 का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। हालांकि, आदेश, 2019 में उन सभी मुश्किलों पर ध्यान दिया गया जो इसके तहत जारी रखने में मदद करने से आ सकती हैं। हमें यह मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि सी.आर.पी.सी, 1989 के तहत शुरू होने के बाद भी सी.आर.पी.सी, 1973 के एप्लीकेशन से जांच जारी रह सकती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे मामले में भी जहां पहले वाले का साफ तौर पर पालन नहीं हुआ हो, बाद वाले को लागू करके उसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है।

32. पैरा 2(13) जांच एजेंसी को ऐसी स्थिति से निपटने के लिए काफी पावर देता है। हालांकि हम यह मान रहे हैं कि शिकायत पहुंचाने के लिए ऑथराइजेशन या एम्पावरमेंट की ज़रूरत ज़रूरी है, लेकिन जांच खत्म होने पर यह जांच एजेंसी को उसके बाद इसका पालन करने से नहीं रोकेगा। यह जांच पूरी होने के लिए एक सही अथॉरिटी से मिली मंज़ूरी है। हम उस मामले को नहीं देख रहे हैं जहां मंज़ूरी देने से मना कर दिया गया हो या उसे रिजेक्ट कर दिया गया हो। बल्कि, यह एक ऐसा मामला है जहां कोई अथॉरिटी ऑथराइजेशन देने में उस पावर का इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। इस तरह, हम कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा निबरन चंद्र (उपरोक्त) में अपनाई गई दलील से पूरी तरह सहमत हैं।

33. अगर हम यह मानते हैं कि सी.आर.पी.सी, 1989 के तहत नॉन-कम्प्लायंस के बावजूद, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के ज़रिए भी अपील करने वाले को रेस्पोंडेंट्स पर केस चलाने

की इजाज़त होगी, तो हम सिर्फ़ सी.आर.पी.सी, 1973 को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू कर रहे होंगे, जो जैसा कि बात हुई है, इजाज़त नहीं है।

<u>तथ्य</u>

34. असल में, यह अपील करने वाले की वजह से हुई एक चूक है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। यह एक ठीक होने वाली कमी है, इसलिए इससे उत्तरदाता को कोई फ़ायदा नहीं होगा, खासकर तब जब ऐसी मंज़ूरी या अधिकार के बिना उन पर अभी तक चार्ज नहीं लगाया गया है। इस स्टेज पर, यह दोहराना ज़रूरी है कि शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रामबन ने स्पेशल जज, एन.आई.ए को 20.09.2019 को दी थी। इसके अलावा, 25.09.2019 को चार्जशीट फाइल करने के साथ ही जांच पूरी हो गई थी। जबकि, अधिनियम, 2019 के लिए तय तारीख 31.10.2019 थी। इसलिए, जिस दिन जांच पूरी हुई, उस दिन जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सी.आर.पी.सी, 1989 लागू था।

35. इस मामले को देखते हुए, हम इस विवादित फैसले को खारिज करना चाहते हैं, क्योंकि यह एन.आई.ए के स्पेशल जज के उस फैसले को सही ठहराता है जिसमें उन्होंने आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 120-बी के तहत सज़ा वाले अपराध के लिए कॉग्निजेंस नहीं लिया था। इसलिए, हम अपील करने वाले को सी.आर.पी.सी, 1989 के सेक्शन 196-ए के आदेश का पालन करने की आज़ादी देते हैं, और इसके लिए वह सही ऑथराइज़ेशन या अधिकार मांग सकता है, जैसा भी मामला हो। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसा पालन सही तरीके से किया जाता है, तो ट्रायल कोर्ट कॉग्निजेंस लेने का काम करेगा, और कानून के मुताबिक ट्रायल को आगे बढ़ाएगा।

36. इसलिए अपील को कुछ हद तक मंज़ूरी दी जाती है। अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन है, तो उसे निपटा दिया गया है।

केस का नतीजा: **अपील कुछ हद तक मंज़ूर की गयी।**

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।